रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-04092025-265967
SG-DL-E-04092025-265967

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260] दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2025/भाद्र 11, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 205
No. 260] DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2025/BHADRA 11, 1947 [N. C. T. D. No. 205

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय
अधिसूचना

दिल्ली, 1 सितम्बर, 2025

फा. सं. जी.जी.एस.आई.पी.यू. / सम. / 87वीं प्रबं.मं. / अधि.12 (संशो.) / 2025 / 548—अधिसूचना सं फा.सं. जी.जी.एस. आई.पी.यू. / सम. / 79वीं प्रबं.मं. / अधि.12 (संशो.) / 2023—24 / 434 दिनांक 09.01.2025 द्वारा अधिसूचित 'विद्या वाचस्पति उपाधि (डॉक्टर ऑफ फिलासफी डिग्री) अर्हता के लिये शासी कार्यक्रम' से संबंधित अध्यादेश 12 के आंशिक संशोधन तथा गुरू गोबिंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 (1998 का अधिनियम 9) की धारा 27 (2) के प्रावधानों के अनुपालन में, गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल ने 19.06.2025 को आयोजित अपनी 87वीं बैठक में कार्यसूची मद संख्या 87.18 द्वारा अधिसूचित अध्यादेश 12 में निम्न आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी:

अध्यादेश एवं प्रासंगिक खण्ड	विद्यमान खण्ड	संशोधित खण्ड	टिप्पणी
3•2	ऐसे छात्रों, जो यूजीसी—नैट (जेआरएफ / यूजीसी—सी एस आई आर नैट(जेआर एफ) / गेट / सीईईडी तथा समरूप राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में अध्येतावृत्ति0 / छात्रवृत्ति के लिये अर्हता प्राप्त कर चुके हैं, को विद्यावाचस्पति कार्यक्रम में प्रवेशार्थ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश—परीक्षा से छूट दी	(क)ऐसे छात्रों, जो यूजीसी—नैट (जेआरएफ / यूजीसी—सी एस आई आर नैट(जेआर एफ) / गेट / सीईईडी तथा समरूप राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में अध्येतावृत्ति / छात्रवृत्ति के लिये अर्हता प्राप्त कर चुके हैं, को विद्यावाचस्पति कार्यक्रम में प्रवेशार्थ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश—परीक्षा से छूट दी जायेगी। तथापि, जब भी विद्या वाचस्पति कार्यक्रम में प्रवेश हेतु	वर्तमान खण्ड 3•2 में संशोधन

अध्यादेश एवं प्रासंगिक खण्ड	विद्यमान खण्ड	संशोधित खण्ड	टिप्पणी
	जायेगी। तथापि, जब भी विद्या वाचस्पति कार्यक्रम में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय आवेदन आमंत्रित करता है तो विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिये उन्हें आवेदन करना होगा।	विश्वविद्यालय आवेदन आमंत्रित करता है तो विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिये उन्हें आवेदन करना होगा। (ख) ऐसे छात्र, जिन्होंने 27.03.2024 के दिनांकित यूजीसी परिपत्र संख्या एफ.4–1(यूजीसी–नैट समीक्षा समिति /2024(नैट)/1406–48) के अनुसार मान्य नैट स्कोर प्राप्त किया है, वे भी विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा से मुक्त होंगे। वे छात्र जो श्रेणी 2 (सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति और पी.एच.डी में प्रवेश) तथा श्रेणी 3 (केवल पी.एच.डी में प्रवेश) में योग्य होते हैं,, उन्हें नैट परीक्षा में 70% और साक्षात्कार में 30% भारांक दिया जाएगा। पी.एच.डी प्रवेश नैट अंकों और साक्षात्कार/ वाइवा वॉइस में प्राप्त अंकों के सम्मिलित मेरिट के आधार पर होगा। श्रेणी 2 और 3 के उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त नैट अंक पी.एच.डी प्रवेश के लिए एक वर्ष तक मान्य होंगे। नैट स्कोर को पी.एच.डी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए संबंधित विषय में साक्षात्कार के दिन मान्य होना चाहिए। हालांकि, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने पर ही प्रवेश के लिए आवेदन करना होगा।	
3•13	प्रवेश, संबंधित स्कूल की प्रवेश समिति द्वारा संचालित साक्षात्कार में प्रदर्शन/छात्र की योग्यता पर आधारित होगा। साक्षात्कार निम्न पहलुओं पर विचार करेगा, अर्थात् क्या (क) छात्र के पास प्रस्तावित शोध कार्य से संबंधित मूल जानकारी और अभिक्षमता है ; (ख) अभ्यर्थी के पास प्रस्तावित शोध कार्य निष्पादन करने की सक्षमता है; (ग) प्रस्तावित शोध–योजना, शोध खेत्र में नवीन/परिवर्धित ज्ञानार्जन में सहायक हो सकती हैं लिखित प्रवेश परीक्षा अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के लिये, योग्यता क्रम सूची (100 अंकों में से) उन अभ्यर्थियों हेतु तैयार की जायेगी जिनके शोध–प्रस्तावों को प्रवेश समिति द्वारा निम्न मानदण्डानुसार स्वीकार कर लिया गया होगा। (i) लिखित प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों को 70% महत्त्व (वेटिज) दिया जायेगाः (ii) साक्षात्कार को 30% महत्त्व (वेटिज) दिया जायेगा। लिखित प्रवेश परीक्षा से छूट प्रदत्त उन अभ्यर्थियों, जिनके शोध प्रस्तावों को	प्रवेश, संबंधित स्कूल की प्रवेश समिति द्वारा संचालित साक्षात्कार में प्रदर्शन/छात्र की योग्यता पर आधारित होगा। साक्षात्कार निम्न पहलुओं पर विचार करेगा, अर्थात् क्या (क) छात्र के पास प्रस्तावित शोध कार्य से संबंधित मूल जानकारी और अभिक्षमता है ; (ख) अभ्यर्थी के पास प्रस्तावित शोध कार्य निष्पादन करने की सक्षमता है; (ग) प्रस्तावित शोध–योजना, शोध खेत्र में नवीन/परिवर्धित ज्ञानार्जन में सहायक हो सकती हैं लिखित प्रवेश परीक्षा अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के लिये, (पीईटी स्कोर / नैट स्कोर उन छात्रों के लिए जो यूजीसी परिपत्र संख्या एफ.4–1(यूजीसी–नैट समीक्षा समिति/2024(नैट)/1406–48) दिनांक 27.03.2024 के अनुसार श्रेणी 2 और 3 में योग्य हैं); योग्यता क्रम सूची (100 अंकों में से) उन अभ्यर्थियों हेतु तैयार की जायेगी जिनके शोध–प्रस्तावों को प्रवेश समिति द्वारा निम्न मानदण्डानुसार स्वीकार कर लिया गया होगा। (i) लिखित प्रवेश परीक्षा (पीईटी स्कोर/ नैट स्कोर उन छात्रों के लिए जो यूजीसी परिपत्र संख्या एफ.4–1(यूजीसी–नैट समीक्षा समिति/2024(नैट)/1406–48) दिनांक 27.03. 2024 के अनुसार श्रेणी 2 और 3 में योग्य हैं); में प्राप्तांकों को 70% महत्त्व (वेटिज) दिया जायेगाः (ii) साक्षात्कार को 30% महत्त्व (वेटिज) दिया जायेगा। लिखित प्रवेश परीक्षा से छूट प्रदत्त उन अभ्यर्थियों,	वर्तमान खण्ड 3•13 में संशोधन

अध्यादेश एवं प्रासंगिक खण्ड	विद्यमान खण्ड	संशोधित खण्ड	टिप्पणी
	प्रवेश समिति ने स्वीकार कर लिया हो की योग्यता क्रम सूची उपरोक्त खण्ड 3•13(ii) में सूचीबद्ध अंकों, जिनका मान 100 अंक होगा, के आधार पर तैयार की जायेगी।	जिनके शोध प्रस्तावों को प्रवेश समिति ने स्वीकार कर लिया हो की योग्यता क्रम सूची उपरोक्त खण्ड 3•13(ii) में सूचीबद्ध अंकों, जिनका मान 100 अंक होगा, के आधार पर तैयार की जायेगी।	
5•1	ऐसे स्थायी शिक्षण सदस्य जो विद्या वाचस्पति उपाधि वाले संबद्ध महाविद्यालय / वि0वि0अध्य0स्कूल में आचार्य / सह–आचार्य के रूप में कार्यरत हों, तथा समकक्षी समीक्षा पत्रिका अथवा उल्लेखनीय पत्रिका (जर्नल) में कम से कम पाँच शोध प्रख्यापन (रिसर्च पब्लिकेशन) धारी हों और वि0वि0अध्य विद्या वाचस्पति वाले संबद्ध महाविद्यालय में सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत स्थायी शिक्षण सदस्य हों तथा समकक्षी समीक्षा पत्रिका अथवा उल्लेखनीय पत्रिका में कम से कम तीन शोध प्रख्यापन धारी हों तो उन्हे ही उस विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों अथवा संस्थानों में शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता मिलेगी जहाँ पर शिक्षण सदस्य नियोजित है अथवा इसके संबद्ध स्नातकोत्तर। ऐसे मान्यता प्राप्त शोध पर्यवेक्षक उन अन्य संस्थानों में, जहाँ वे केवल सह पर्यवेक्षक के रूप में ही कार्य कर सकते हैं, शोध छात्रों का पर्यवेक्षक नहीं कर सकते। सहायक शिक्षण सदस्य शोध पर्यवेक्षक के रूप में ही कार्य कर सकते हैं, शोध छात्रों का पर्यवेक्षण नहीं कर सकते। सहायक शिक्षण सदस्य शोध पर्यवेक्षक के रूप में कार्य नहीं कर पायेंगे बल्कि वे केवल सह–पर्यवेक्षक के रूप में ही कार्य कर पायेंगे। तथापि, कार्य चिकित्सा एवं पराचिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्कूल में, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के मान्यता प्राप्त ऐसे शिक्षक जिनके पास एम डी / एम एस / डीएम / एम सी एच अथवासमतुल्य डिग्री (परन्तु, विद्यावाचस्पति की डिग्री नहीं) है और एम डी / एम एस / डीएम / एम सी एच डिग्री अथवा समतुल्य डिग्री प्राप्ति के पश्चात् 15 वर्षों का शिक्षण एवं शोध अनुभव है, जिसमे फैकल्टी सदस्य के रूप स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढाने का 10 वर्ष का अनुभव सम्मिलित हैं; सूचक समकक्षी समीक्षा पत्रिका में 10 शोध लेख प्रकाशित हो चुके हैं और सतत रूप से शोध गतिविधियों में अभी भी संक्षिप्त हैं, विद्या वाचस्पति पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता हेतु पात्र होंगे बशर्ते कि इस अध्यादेश में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों को भी पूरा करते होंगे।	ऐसे स्थायी शिक्षण सदस्य जो विद्या वाचस्पति उपाधि वाले संबद्ध महाविद्यालय / वि0वि0अध्य0स्कूल में आचार्य / सह–आचार्य के रूप में कार्यरत हों, तथा समकक्षी समीक्षा पत्रिका अथवा उल्लेखनीय पत्रिका (जर्नल) में कम से कम पाँच शोध प्रख्यापन (रिसर्च पब्लिकेशन) धारी हों और वि0वि0अध्य विद्या वाचस्पति वाले संबद्ध महाविद्यालय में सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत स्थायी शिक्षण सदस्य हों तथा समकक्षी समीक्षा पत्रिका अथवा उल्लेखनीय पत्रिका में कम से कम तीन शोध प्रख्यापन धारी हों तो उन्हे ही उस विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों अथवा संस्थानों में शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता मिलेगी जहाँ पर शिक्षण सदस्य नियोजित है अथवा इसके संबद्ध स्नातकोत्तर। ऐसे मान्यता प्राप्त शोध पर्यवेक्षक उन अन्य संस्थानों में, जहाँ वे केवल सह पर्यवेक्षक के रूप में ही कार्य कर सकते हैं, शोध छात्रों का पर्यवेक्षक नहीं कर सकते। सहायक शिक्षण सदस्य शोध पर्यवेक्षक के रूप में ही कार्य कर सकते हैं, शोध छात्रों का पर्यवेक्षण नहीं कर सकते। सहायक शिक्षण सदस्य शोध पर्यवेक्षक के रूप में कार्य नहीं कर पायेंगे बल्कि वे केवल सह–पर्यवेक्षक के रूप में ही कार्य कर पायेंगे। योग्य स्थायी संकाय सदस्य अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान भी पी.एच.डी शोधार्थियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। तथापि, कार्य चिकित्सा एवं पराचिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्कूल में, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के मान्यता प्राप्त ऐसे शिक्षक जिनके पास एम डी / एम एस / डीएम / एम सी एच अथवासमतुल्य डिग्री (परन्तु, विद्यावाचस्पति की डिग्री नहीं) है और एम डी / एम एस / डीएम / एम सी एच डिग्री अथवा समतुल्य डिग्री प्राप्ति के पश्चात् 15 वर्षों का शिक्षण एवं शोध अनुभव है, जिसमे फैकल्टी सदस्य के रूप स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढाने का 10 वर्ष का अनुभव सम्मिलित हैं; सूचक समकक्षी समीक्षा पत्रिका में 10 शोध लेख प्रकाशित हो चुके हैं और सतत रूप से शोध गतिविधियों में अभी भी संक्षिप्त हैं, विद्या वाचस्पति पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता हेतु पात्र होंगे बशर्ते कि इस अध्यादेश में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों को भी पूरा करते होंगे।	वर्तमान खण्ड 5•1 में संशोधन
5•3	सह पर्यवेक्षक(ों) को अन्य विश्वविद्यालय स्कूलों / विश्वविद्यालयी केन्द्रों / सम्बद्ध	सह पर्यवेक्षक(ों) को उसी या अन्य विश्वविद्यालय स्कूलों/ विश्वविद्यालय केन्द्रों अथवा अन्य संस्थानों से	वर्तमान खण्ड 5•3 में संशोधन

अध्यादेश एवं प्रासंगिक खण्ड	विद्यमान खण्ड	संशोधित खण्ड	टिप्पणी
	महाविद्यालयों /अन्य केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों/ संस्थानों से अन्तर–विषय क्षेत्रों में अनुमति होगी बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति इस अध्यादेश के अनुसार पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिय शैक्षिक अपेक्षाओं की पूर्ति करते हों। सह पर्यवेक्षक की नियुक्ति के लिये नियम एवं शर्तें, शोध परामर्शी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट की जायेंगी तथा सह–पर्यवेक्षक को संकाय के केन्द्र मूल स्कूल की संबंधित स्कू0 शोध समि0 तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। उसकी सूचना अनु0 तथा वि0 प्रको0 को दी जायेगी।	नियुक्त करने की अनुमति सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से दी जा सकती है। यदि अनुसंधान कार्य अंतरविषयी/ बहुविषयी प्रकृति का हो या उद्योग के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य हो, तो आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय के स्कूलों/विश्वविद्यालय केन्द्रों के बाहर से भी सह–पर्यवेक्षक नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि, ऐसे सभी व्यक्तियों को इस अधिनियम के अनुसार पी.एच.डी पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए सभी शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य होगा। सह पर्यवेक्षक की नियुक्ति के लिये नियम एवं शर्तें, शोध परामर्शी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट की जायेंगी, तथा सह–पर्यवेक्षक को संकाय के केन्द्र मूल स्कूल की संबंधित स्कूल शोध समिति तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। उसकी सूचना अनुसंधान तथा विकास प्रकोष्ठ को दी जायेगी।	
9•3	शोध कार्य समाप्त हो जाने के बाद, शोध छात्र अपने शोध ग्रन्थ के पूर्व–प्रस्तुति संक्षिप्त सार की 08 प्रतियाँ अपने पर्यवेक्षक के माध्यम से शोध परामर्श समिति वे प्रस्तुत करेगा तथा शोध परामर्श समिति के समक्ष पूर्व प्रस्तुत प्रदर्शन करेगा। यह पूर्व प्रस्तुति प्रदर्शन, सभी शिक्षण सदस्यों तथा विश्वविद्यालय के अन्य शोध–छात्रों के लियें भी प्रदर्शनीय होगा। उनसे प्राप्त प्रति पुष्टियाँ तथा टिप्पणियाँ शोध परामर्श समिति के परामर्श से शोध प्रारूप में उपयुक्त ढंग से समाविष्ट कर ली जायेंगी । पूर्व प्रस्तुति प्रदर्शन के बाद विद्यावाच0 शोध ग्रंथ की प्रस्तुति की अनुमति। अस्वीकृति का निर्णय सूचनार्थ, संबधित स्कूल शोध समि0 के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जायेगा।	शोध कार्य समाप्त हो जाने के बाद, शोध छात्र अपने शोध ग्रन्थ के पूर्व–प्रस्तुति संक्षिप्त सार की **03 हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी (पीडी**एफ **प्रारूप में) पैन ड्राइव में** अपने पर्यवेक्षक के माध्यम से शोध परामर्श समिति वे प्रस्तुत करेगा तथा शोध परामर्श समिति के समक्ष पूर्व प्रस्तुत प्रदर्शन करेगा। यह पूर्व प्रस्तुति प्रदर्शन, सभी शिक्षण सदस्यों तथा विश्वविद्यालय के अन्य शोध–छात्रों के लियें भी प्रदर्शनीय होगा। उनसे प्राप्त प्रति पुष्टियाँ तथा टिप्पणियाँ शोध परामर्श समिति के परामर्श से शोध प्रारूप में उपयुक्त ढंग से समाविष्ट कर ली जायेंगी । पूर्व प्रस्तुति प्रदर्शन के बाद विद्यावाच0 शोध ग्रंथ की प्रस्तुति की अनुमति। अस्वीकृति का निर्णय सूचनार्थ, संबधित स्कूल शोध समि0 के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जायेगा।	वर्तमान खण्ड 9•3 में संशोधन
9•10•3	स्कूल शो0 स0 द्वारा अनुमोदित शोध पत्र के प्रस्तुति पूर्व सारतत्व और अंतिम–शीर्षक की प्राप्ति पर स्कू0 शोध स0 अध्यक्षा, संबंधित स्कू0 शो0 स0 द्वारा अनुमोदित परीक्षक सूचिका तथा प्रस्तुति पूर्व सार तत्व परी0 नियं0 को उपरोक्त दस्तावेज प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर–भीतर भेज देंगे। इन शोध प्रबंधों के मूल्यांकन के लिये उक्त सूचिका से बाह्म शोध प्रबंध मूल्यांकन(ों) की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जायेगी। परीक्षक–सूचिका में कुलपति और नाम भी जोड़ सकते हैं।	स्कूल शो0 स0 द्वारा अनुमोदित शोध पत्र के प्रस्तुति पूर्व सारतत्व और अंतिम–शीर्षक की प्राप्ति पर स्कू0 शोध स0 अध्यक्षा, संबंधित स्कू0 शो0 स0 द्वारा अनुमोदित परीक्षक सूचिका तथा प्रस्तुति पूर्व सारतत्व की **03 हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी (पीडी**एफ **प्रारूप में) पैन ड्राइव में** परी0 नियं0 को उपरोक्त दस्तावेज प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर–भीतर भेज देंगे। इन शोध प्रबंधों के मूल्यांकन के लिये उक्त सूचिका से बाह्म शोध प्रबंध मूल्यांकन(ों) की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जायेगी। परीक्षक–सूचिका में कुलपति और नाम भी जोड़ सकते हैं।	वर्तमान खण्ड 9•10•3 में संशोधन
9•11•1	....	पी.एच.डी थीसिस के मूल्यांकन के उद्देश्य से, संबंधित स्कूल/केंद्र थीसिस की एक सॉफ्ट–बाउंड हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी (**पीडी**एफ प्रारूप में) भेजेंगे। **पीडी**एफ एक एकल फाइल होनी चाहिए जिसमें हार्ड कॉपी के सभी पृष्ठ शामिल हों, जिसमें ऑर्किड आई**डी,** एक पृष्ठ प्लेगरिज़्म रिपोर्ट और विस्तृत प्लेगरिज़्म रिपोर्ट भी शामिल हो, जो थीसिस के मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा प्रभाग द्वारा और भी प्रतियां मांगी जा सकती	वर्तमान खण्ड 9.11.1 में परिवर्तन

अध्यादेश एवं प्रासंगिक खण्ड	विद्यमान खण्ड	संशोधित खण्ड	टिप्पणी
		हैं। सिनॉप्सिस और थीसिस की सॉफ्ट कॉपी का उपयोग परीक्षा प्रभाग द्वारा नामित बाहरी परीक्षकों द्वारा पी.एच.डी थीसिस के मूल्यांकन के लिए किया जाएगा।	
9•11•2	प्रत्येक परीक्षक से अनुरोध किया जायेगा कि वे शोध प्रबन्ध प्राप्त होने की तिथि से 06 सप्ताह के अन्दर, निर्धारित प्रपत्र (परीक्षा प्रभाग द्वारा अभिकल्पित तथा परीक्षा नियंत्रक द्वारा स्वीकृत) पर विस्तृत मूल्यांकन प्रतिवेदन और अपनी अनुशंसाएँ परी0 नियं0 को प्रेषित करें।	कोई परिवर्तन नही	वर्तमान खण्ड 9•11•1 का पुनः क्रमांकन
9•11•3	ऐसी परिस्थिति में, जबकि शोध प्रबन्ध का प्रेषण तिथि से 3 मास के अन्दर परीक्षक से मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो विद्या वास्पति शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन के लिये, परीक्षकों की अनुमोदित सूचिका से कुलपति किसी अन्य परीखक की नियुक्ति कर सकते हैं।		वर्तमान खण्ड 9•11•2 का पुनः क्रमांकन
9•11•4	परीक्षक से अपेखा होगी कि वे सुनिश्चित/सुस्पष्ट ढंग से यह सूचित करें कि क्या उनके मतानुसार विद्या वास्पति शोध प्रबन्धः (क) विद्या वाचस्पति उपाधि को (मौखिक प्रतिवाद के बाद) प्रदान किये जाने के लिये स्वीकार कर लिया जाना चाहिये, अथवा (ख) विद्या वाचस्पति उपाधि (सुझाये गये बदलावों को सम्मिलित किये जाने की शर्त और मौखिक प्रतिवाद के बाद) प्रदान किये जाने के लिये स्वीकार कर लिया जाना चाहिये, अथवा (ग) संशोधित प्रपत्र पर पुनर्प्रस्तुति, अथवा (ध) अस्वीकृत	कोई परिवर्तन नही	वर्तमान खण्ड 9•11•3 का पुनः क्रमांकन
9•11•5	विद्या वाचस्पति शोध प्रबंध की पुनर्प्रस्तुति/अस्वीकरण की संस्तुति हेतु परीक्षक कारण दर्शायेंगे। यदि पुनर्प्रस्तुति की संस्तुति दर्शायी गयी है तो परीक्षक विशिष्ट रूप से उन आशोधनों को सुझायेंगे जिनका विद्या वाचस्पति शोध प्रबंध में निर्वहन किया जाना, शोध छात्र के लिये आवश्यक है। स्कूल–अधिष्ठाता के परामर्श से परीक्षा नियंत्रक शोधार्थी और पर्यवेक्षक को उन सभी संशोधनों और आशोधनों की सूची उपलब्ध करायेंगे जो परीक्षक के परामर्शानुसार शोध प्रबंध में किये जाने अपेक्षित हैं।	कोई परिवर्तन नही	वर्तमान खण्ड 9•11•4 का पुनः क्रमांकन
9•11•6	यदि भारी बदलाव किये जाने हैं और पुनर्प्रस्तुति/पुनर्मूल्यांकन की संस्तुति	कोई परिवर्तन नही	वर्तमान खण्ड 9•11•5 का पुनः

अध्यादेश एवं प्रासंगिक खण्ड	विद्यमान खण्ड	संशोधित खण्ड	टिप्पणी
	की गयी है तो परीक्षा नियंत्रक से इस संबंध में सूचना प्राप्त हो जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर पर्यवेक्षक के परामर्श से शोध छात्र संशोधित वृतांत पुनर्प्रस्तुत कर सकता है। तथापि, अपवादिक परिस्थितियों में स्कूल शो0 स0 इस अवधि को एक और वर्ष के लिये बढ़ा सकती है लेकिन यह सकल परिशोधन अवधि, दो वर्ष से अधिक नहीं बढाई जा सकती। ये संशोधित विद्या वाचस्पति शोध प्रबंध मूल्यांकन हेतु पुनः उन्हीं परीक्षक(ों) के पास भेज दिये जायेंगे जिन्होंने संशोधनों की सिफारिश की थी। यदि उनमें से कोई भी, संशोधित शोध की परीक्षा करने से मना कर देता है तो अनुमोदित नामावली से एक अतिरिक्त परीक्षक की नियुक्ति की जा सकती है और उन्हें, संशोधित शोध प्रबंध के मूल्यांकन को सुगम बनाने के लिये विगत परीक्षक(ों) की टिप्पणियाँ सुलभ करायी जायेंगी।		क्रमांकन
9•12•6	मौ0 प्रति0 समि0 की अनुशंसाओ पर कुलपति का निर्णय परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति के निर्णय की तिथि उद्धृत करते हुए अधिसूचित किया जायेगा जो कि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्या वाचस्पति की उपाधि के औपचारिक रूप से प्रदान किये जाने की प्रभावी तिथि के रूप में निर्धारित होगी। इस अधिसूचना से पूर्व, परीक्षा नियंत्रक यह सुनिश्चित कर लेंगे कि शोध छात्र ने विद्या वाचस्पति शोध प्रबंध की एक सॉफ्ट प्रति तथा दो हार्ड बाउंड प्रतियाँ, एक संबंधित स्कूल के पुस्तकालय के लिये और दूसरी विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय के लिये प्रदोन कर दी हैं। इनमें पर्यवेक्षक द्वारा प्रमाणित सभी आवश्यक शुद्धियाँ/आशोधन सम्मिलित किये होने चाहिये और शोध प्रबंध के प्रारम्भ में एक पृथक पन्ने पर निम्न स्वत्वाधिकार प्रमाण पत्र दिया जातना चाहियेः © गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, द्वारका, नयी दिल्ली–110078 सर्वाधिकार सुरक्षित।	मौ0 प्रति0 समि0 की अनुशंसाओ पर कुलपति का निर्णय परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति के निर्णय की तिथि उद्धृत करते हुए अधिसूचित किया जायेगा जो कि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्या वाचस्पति की उपाधि के औपचारिक रूप से प्रदान किये जाने की प्रभावी तिथि के रूप में निर्धारित होगी। इस अधिसूचना से पूर्व, परीक्षा नियंत्रक यह सुनिश्चित कर लेंगे कि शोध छात्र ने विद्या वाचस्पति शोध प्रबंध की एक सॉफ्ट कॉपी (**पीडी**एफ प्रारूप में पेन ड्राइव में) तथा एक हार्ड–बाउंड प्रति, सभी परिशिष्टों एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों सहित परीक्षा प्रभाग को प्रस्तुत की हो। इनमें पर्यवेक्षक द्वारा प्रमाणित सभी आवश्यक शुद्धियाँ/आशोधन सम्मिलित किये होने चाहिये और शोध प्रबंध के प्रारम्भ में एक पृथक पन्ने पर निम्न स्वत्वाधिकार प्रमाण पत्र दिया जातना चाहियेः © गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, द्वारका,नयी दिल्ली–110078 सर्वाधिकार सुरक्षित।	वर्तमान खण्ड 9•12•6 में संशोधन
9•12•7	....	पी.एच.डी डिग्री प्रदान किए जाने की अधिसूचना के बाद, परीक्षा प्रभाग मूल्यांकन तथा डिग्री प्रदान किए जाने से संबंधित सभी दस्तावेजों को अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष तक सुरक्षित रखेगा। डिग्री प्रदान किए जाने की अधिसूचना के पश्चात, थीसिस की सॉफ्ट कॉपी आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु यूआईआरसी को भेजी जानी चाहिए। डिग्री प्रदान किए जाने की अधिसूचना के एक वर्ष पश्चात, शोधार्थी द्वारा उपयुक्त माध्यम से जमा की गई हार्ड कॉपियाँ संबंधित विभाग/स्कूल को आवश्यक कार्रवाई हेतु वापस कर दी जाएंगी।	वर्तमान खण्ड 9.12.7 में परिवर्तन
9•12•8	विद्या वाचस्पति (पीएचडी) अधिसूचना के बाद और दीक्षांत समारोह के समय	कोई परिवर्तन नही	वर्तमान खण्ड 9•12•7 का पुनः

अध्यादेश एवं प्रासंगिक खण्ड	विद्यमान खण्ड	संशोधित खण्ड	टिप्पणी
	अंतिम उपाधि प्रदान किये जाने के समय विश्वविद्यालय शोध छात्र को विद्या वाचस्पति पूर्ण हो जाने का अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करेगा इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ कि विद्या वाचस्पति की डिग्री वि0वि0 अनु0 आयोग के विनियमों की अनुरूपता में प्रदान की गयी है। प्रमाणपत्र और डिग्री में स्कूल, अध्ययन–संस्थान तथा वह विषय (विद्या शाखा) जिसके लिये विद्यावाचस्पति (पी0एच0डी) डिग्री प्रदान की गयी है का उल्लेख किया जायेगा।		क्रमांकन

उपरोक्त संशोधन, प्रबंध मंडल द्वारा दिये गये अनुमोदन की तिथि अर्थात् 19.06.2025 से लागू होगा।

आदेशानुसार,

डॉ० कमल पाठक, कुलसचिव

GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY

NOTIFICATION

Delhi, the 1st September, 2025

F.No.GGSIPU/Coord/87thBOM/Ord.12(Amend)/2025/548—In partial amendment to the Ordinance 12 – 'Governing Programmes leading to the Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.)' notified vide Notification No. F.No.GGSIPU/Coord/79th BOM/Ord.12(Revised)/2023-24/434 dated 09.01.2025 and in pursuance of the provisions of Section 27 (2) of the Guru Gobind Singh Indraprastha University Act 1998 (Act 9 of 1998), the Board of Management of the Guru Gobind Singh Indraprastha University in its 87th meeting held on 19.06.2025 vide agenda item no. 87.18 approved the amendments in the the notified Ordinance 12 as under:

Clause	Existing Clause	Amended clause	Remarks
3.2	For those students who qualify for fellowship/scholarship in UGC-NET (JRF)/UGC-CSIR NET (JRF)/GATE/CEED and similar National level tests shall be exempted from the entrance test conducted by the University for admission to the Ph.D. programme. However, they shall have to apply for admission to the University, as and when, the University invites application for admission to the Ph.D. programme.	(a) For those students who qualify for fellowship/scholarship in UGC-NET (JRF)/UGC-CSIR NET (JRF)/GATE/CEED and similar National level tests shall be exempted from the entrance test conducted by the University for admission to the Ph.D. programme. However, they shall have to apply for admission to the University, as and when, the University invites application for admission to the Ph.D. programme. (b) Those students, who have obtained valid NET Score in accordance with the UGC circular no. F.4-1(UGC-NET Review Committee/2024(NET)/1406-48 dated 27.03.2024, shall also be exempted from the entrance test conducted by the University for admission to the Ph.D. programme. For the students who qualify in Category 2 (Appointment as Assistant Professor and admission to Ph.D.) and Category	Amendment in the existing clause 3.2

Clause	Existing Clause	Amended clause	Remarks
		3 (Admission to Ph.D. only), 70% weightage will be given for NET test scores and 30% weightage for the interview for admission to Ph.D. programmes. The Ph.D. admission will be based on the combined merit of NET marks and the marks obtained in the interview/viva voce. The marks obtained in the NET by the candidates in Categories 2 and 3 will be valid for a period of one year for admission to Ph.D. The NET score should be valid on the date of interview in the respective discipline for admission to the Ph.D. Programme. However, they shall have to apply for admission to the University, as and when, the University invites application for admission to the Ph.D. programme.	
3.13	The admission shall be based on the performance /merit of the candidate in the interview conducted by the Admission Committee of the concerned School. The interview shall consider the following aspects, viz. whether: (a) The candidate possesses the basic knowledge and aptitude for the proposed research work; (b) the candidate possesses the competence for the proposed research work; (c) the proposed plan of research can contribute to new/additional knowledge in the area of research. For written entrance test qualified candidates, the merit list (out of 100 marks) will be prepared for the candidates whose research proposals are accepted by the Admission Committee as per the following criteria: (i) 70% weightage will be given to the marks obtained in the written entrance test; (ii) 30% weightage will be given to interview. For candidates exempted from the written entrance test, the merit list of candidates whose research	The admission shall be based on the performance /merit of the candidate in the interview conducted by the Admission Committee of the concerned School. The interview shall consider the following aspects, viz. whether: (a) The candidate possesses the basic knowledge and aptitude for the proposed research work; (b) the candidate possesses the competence for the proposed research work; (c) the proposed plan of research can contribute to new/additional knowledge in the area of research. For written entrance test qualified candidates, (PET Score / NET Score for students who qualify in Categories 2 and 3 as per UGC circular no. F.4-1(UGC-NET Review Committee / 2024(NET)/1406-48 dated 27.03.2024); the merit list (out of 100 marks) will be prepared for the candidates whose research proposals are accepted by the Admission Committee as per the following criteria: (i) 70% weightage will be given to the marks obtained in the written entrance test (PET Score / NET Score for students who qualify in Categories 2 and 3 as per UGC circular no. F.4-1(UGC-NET Review Committee / 2024(NET)/1406-48 dated 27.03.2024); (ii) 30% weightage will be given to interview.	Amendment in the existing clause 3.13

Clause	Existing Clause	Amended clause	Remarks
	proposals are accepted by the Admission Committee will be prepared on the basis of points listed at clause 3.13 (ii) above, scaled up to 100 marks.	For candidates exempted from the written entrance test, the merit list of candidates whose research proposals are accepted by the Admission Committee will be prepared on the basis of points listed at clause 3.13 (ii) above, scaled up to 100 marks.	
5.1	Permanent faculty members working as Professor/ Associate Professor of the USS / Affiliated College with a Ph.D., and at least five research publications in peer-reviewed or refereed journals and permanent faculty members working as Assistant Professors in USS / Affiliated College with a Ph.D., and at least three research publications in peer-reviewed or refereed journals may be recognized as a Research Supervisor in the University where the faculty member is employed or in its affiliated Post-graduate Colleges/institutes. Such recognized research supervisors cannot supervise research scholars in other institutions, where they can only act as co-supervisors. Adjunct Faculty members shall not act as Research Supervisors and can act only as co-supervisors. However, the University School of Medicine & Para-Medical Health Sciences, any recognized teacher of the University Affiliated Medical Colleges who holds an MD / MS / DM / M.Ch. or equivalent degree (and not holding a Ph.D. degree) with 15 years of teaching and research experience after obtaining MD / MS / DM / M.Ch. or equivalent degree, including PG teaching experience of 10 years as a faculty member and 10 published research articles in indexed peer review journals, and is continuously involved in research activities, shall be eligible to be recognized as a Ph.D. Supervisor, subject to the fulfilment of other conditions specified in this Ordinance.	Permanent faculty members working as Professor/ Associate Professor of the USS /Affiliated College with a Ph.D., and at least five research publications in peer-reviewed or refereed journals and permanent faculty members working as Assistant Professors in USS / Affiliated College with a Ph.D., and at least three research publications in peer-reviewed or refereed journals may be recognized as a Research Supervisor in the University where the faculty member is employed or in its affiliated Post-graduate Colleges/institutes. Such recognized research supervisors cannot supervise research scholars in other institutions, where they can only act as co-supervisors. Adjunct Faculty members shall not act as Research Supervisors and can act only as co-supervisors. Eligible Permanent Faculty Members can guide Ph.D. Scholars during their Probation Period also. However, the University School of Medicine & Para-Medical Health Sciences, any recognized teacher of the University Affiliated Medical Colleges who holds an MD / MS / DM / M.Ch. or equivalent degree (and not holding a Ph.D. degree) with 15 years of teaching and research experience after obtaining MD / MS / DM / M.Ch. or equivalent degree, including PG teaching experience of 10 years as a faculty member and 10 published research articles in indexed peer review journals, and is continuously involved in research activities, shall be eligible to be recognized as a Ph.D. Supervisor, subject to the fulfilment of other conditions specified in this Ordinance.	Amendment in the existing clause 5.1
5.3	Co-supervisor(s) can be allowed in inter-disciplinary areas from other University Schools/	Co-Supervisors from within the same or other University Schools/ Centre(s) of the University or other institutions may be	Amendment in the existing clause 5.3

Clause	Existing Clause	Amended clause	Remarks
	Centre(s) of the University/ affiliated college/ other Central/ State Universities/Institutions, provided such persons fulfil the academic requirement for being recognized as a supervisor as per this Ordinance. The terms and conditions for the appointment of Co-supervisors shall be specified by the Research Advisory Committee and the Co-supervisor will have to be approved by the concerned SRC of the parent School/Centre of the faculty and Competent Authority. The same shall be communicated to RDC.	permitted with the approval of the competent authority. In case of interdisciplinary/ multidisciplinary research work or collaborative research work with industry, if required, a Co-Supervisor from outside the University Schools/ Centre(s) of the University/University may be appointed. However, all such persons must fulfil all the academic requirements for being recognized as a Ph.D supervisor as per this Ordinance. The terms and conditions for the appointment of Co-supervisor shall be specified by the Research Advisory Committee, and the Co-supervisor will have to be approved by the concerned SRC of the parent School/Centre of the faculty and Competent Authority. The same shall be communicated to RDC.	
9.3	On completion of the research work, the research scholar shall submit 08 copies of the pre-submission synopsis of his/her Ph.D. thesis through the supervisor to the Research Advisory Committee, and make a pre-submission presentation to the Research Advisory Committee. The pre-submission presentation shall also be open to all faculty members and other research scholars of the University. The feedback and comments obtained from them may be suitably incorporated into the draft thesis in consultation with the Research Advisory Committee. The decision of the RAC after the pre-submission presentation allowing / disallowing the submission of Ph.D. thesis shall be placed before the concerned SRC for its information.	On completion of the research work, the research scholar shall submit 03 hard copies as well as soft copy (in PDF format) in the pen drive of the pre-submission synopsis of his/her Ph.D. thesis through the supervisor to the Research Advisory Committee, and make a pre-submission presentation to the Research Advisory Committee. The pre-submission presentation shall also be open to all faculty members and other research scholars of the University. The feedback and comments obtained from them may be suitably incorporated into the draft thesis in consultation with the Research Advisory Committee. The decision of the RAC after the pre-submission presentation allowing/ disallowing the submission of Ph.D. thesis shall be placed before the concerned SRC for its information.	Amendment in the existing clause 9.3
9.10.3	On receipt of the final title and pre-submission synopsis of the thesis approved by the SRC, the Chairperson of the SRC shall send the panel of examiners as approved by the concerned SRC as well as the pre-submission synopsis to the COE within a week of receiving the said documents. The Vice-Chancellor shall appoint the external thesis evaluator(s) from the above panel for evaluation of the thesis. The Vice-Chancellor may add names to the panel of examiners.	On receipt of the final title and pre-submission synopsis of the thesis approved by the SRC, the Chairperson of the SRC shall send the panel of examiners as approved by the concerned SRC as well as 03 hard copies and soft copy (in PDF format) in the pen drive of the pre-submission synopsis to the COE within a week of receiving the said documents. The Vice-Chancellor shall appoint the external thesis evaluator(s) from the above panel for evaluation of the thesis. The Vice-Chancellor may add names to the panel of examiners.	Amendment in the existing clause 9.10.3

Clause	Existing Clause	Amended clause	Remarks
9.11.1	--	For the purpose of evaluation of Ph.D. thesis, the concerned School / Centre shall send one soft-bound hard copy of the thesis and soft copy (in PDF format). The PDF should be a single file that includes all pages of the hard copy, including ORCID ID, one page plagiarism report as well as detailed plagiarism report for the evaluation of the thesis. More copies may be asked by the Examination Division, if required. The soft copy of the Synopsis and Thesis shall be utilized by the Examination Division for evaluation of the Ph.D. Thesis by the nominated External Examiners.	Change in the existing clause 9.11.1
9.11.2	Each examiner will be requested to submit to the COE, a detailed assessment report and his/her recommendations on a prescribed proforma (designed by the Examinations Division and approved by the Controller of Examinations) within 06 weeks from the date of receipt of the thesis.	No Change	Renumbering of the existing clause 9.11.1
9.11.3	In the event that the assessment report is not received from an examiner within 3 months from the date of dispatch of the thesis, the Vice Chancellor may appoint another examiner from the approved panel of examiners for evaluating the Ph.D. thesis.	No Change	Renumbering of the existing clause 9.11.2
9.11.4	The examiner shall be required to state categorically whether in his opinion, the Ph.D. thesis should be: (a) accepted for the award of Ph.D. degree (after oral defence), or (b) accepted for the award of Ph.D. degree (subject to incorporation of changes suggested and after oral defence), or (c) resubmission in the revised form, or (d) rejected	No Change	Renumbering of the existing clause 9.11.3
9.11.5	The examiner shall state the reasons for recommending resubmission/rejection of the Ph.D. thesis. If a resubmission is recommended, the examiner shall specifically indicate the modifications that need to be made in the Ph.D. thesis by the research scholar. The COE in consultation with the Dean of the School shall also provide to the	No Change	Renumbering of the existing clause 9.11.4

Clause	Existing Clause	Amended clause	Remarks
	research scholar and supervisor, a list of all corrections and modifications required in the thesis, as suggested by the examiners.		
9.11.6	If the corrections are major and resubmission/re-evaluation has been recommended, the research scholar may resubmit the revised version in consultation with the supervisor, within a period of one year from the date of communication in this regard from the COE. However, in exceptional circumstances, this period may be extended by SRC by one more year but the total revision time shall not exceed two years. The revised Ph.D. thesis shall be sent for assessment to the same examiner(s) who recommended the revision. In the event of any of them declining to examine the revised thesis, an additional examiner may be appointed from the approved panel, and provided with the comments of the previous examiner(s) to facilitate the evaluation of the revised thesis.	No Change	Renumbering of the existing clause 9.11.5
9.12.6	The decision of the Vice Chancellor on the recommendations of the ODC shall be notified by the COE, mentioning the date of the decision of the Vice Chancellor, which shall be construed as the effective date of the award of the Ph.D. degree, subject to the formal award during the University convocation. Prior to this notification, the COE shall ensure that the research scholar has submitted a soft copy of the Ph.D. thesis and two hard-bound copies, one for the library of the concerned School and one for the central library of the University. These should incorporate all necessary corrections/ modifications certified by the supervisor and must contain the following copyright certificate in the beginning of the thesis, on a separate page: *©Guru Gobind Singh Indraprastha University, Dwarka, New Delhi-110078. All rights reserved*	The decision of the Vice Chancellor on the recommendations of the ODC shall be notified by the COE, mentioning the date of the decision of the Vice Chancellor, which shall be construed as the effective date of the award of the Ph.D. degree, subject to the formal award during the University convocation. Prior to this notification, the COE shall ensure that the research scholar has submitted a soft copy of the Ph.D. thesis (in PDF format in Pen Drive) and one hard-bound copy, with all annexures & other relevant documents to the Examination Division. These should incorporate all necessary corrections / modifications certified by the supervisor and must contain the following copyright certificate in the beginning of the thesis, on a separate page: ***©Guru Gobind Singh Indraprastha University, Dwarka, New Delhi-110078. All rights reserved***	Amendment in the existing clause 9.12.6

Clause	Existing Clause	Amended clause	Remarks
9.12.7	--	After the notification of the award of the Ph.D. Degree, the Examination Division shall retain all documents pertaining to the evaluation and award of the Degree to the Scholar for one complete year from the date of notification. After notification of the award, soft copy of the Thesis should be sent to the UIRC for further necessary action. After one year of the notification of the award of the degree, all hard copies, submitted by the Scholar through proper channel shall be reverted back to the concerned Department / School for necessary action.	Change in the existing clause 9.12.7
9.12.8	The University may issue a Provisional Certificate of the completion of Ph.D. to the research scholar upon Ph.D. notification, followed by the award of the final degree at the time of convocation, along with a certificate to the effect that the Ph.D. degree has been awarded in accordance with the UGC regulations. The certificate and the degree shall mention the School, the Institution of Study and the discipline in which the Ph.D. degree is awarded.	No Change	Renumbering of the existing clause 9.12.7

This above amendment shall come into force with effect from the date of approval by the Board of Management i.e. 19.06.2025.

By Order,

Dr. KAMAL PATHAK, Registrar

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA

Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.04 14:36:19 +05'30'